

दिना 55/10/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

(2)

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय

निवेदन है कि ग्राम सुनारी जमाबंदी सं 2012-25 के खाता सं 57 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		57 2012-25	बालचंद पुत्र मोहनलाल जाति मेघवल भाग देह	बालचंद मेघवल पुत्र मोहनलाल मेघवल मा.देह

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

1. ~~बालचंद पुत्र मोहनलाल~~
2.
3.
4.

हस्ताक्षर

~~बालचंद~~

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम सुनारी के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

हस्ताक्षर पटवारी 18/10/25
प०म० सांगरिया

रिपोर्ट भू०अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।

20/10/25
भू०अभिलेख निरीक्षक
भू०अ०नि०वृ०
द.क.बा.पटवारी

रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

कमांक: राजस्व/2025/ 459

दिनांक : 21.3.25

महोदय , जाच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम सुनारी के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

सुनेल (झालावाड)राज

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

कमांक: राजस्व न्यायालय/2025/ 55

दिनांक : 24 ⁰³/₂₅

वादी/प्रार्थी के ग्राम सुनारी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार सुनेल की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्ति कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।



उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0
उपखण्ड न्यायालय पिडावा
जिला झालावाड